# रेल दावा अधिकरण

## पटना पीठ, पटना

वाद संख्या– OA(IIu)/PNBE/147/2023

पीठासीनः **श्री राम बाबू शर्मा, माननीय सदस्य (न्यायिक), रेल दावा अधिकरण, पटना**

**श्री शिव कुमार प्रसाद, माननीय सदस्य (तकनीकी), रेल दावा अधिकरण, पटना**

संस्थन की तिथिः 11.04.2023
निर्णय की तिथिः 07.07.2025

**1. मंजय कुमार, पिता–स्व0 सुरेन्द्र प्रसाद यादव,**
**2. नीलम देवी, पति–मंजय कुमार,**

दोनों निवासी ग्राम – हीराटोला, वार्ड नं0–02,
पोस्ट–रहीमपुर, थाना– साहेबपुर कमाल,
जिला– बेगूसराय,
बिहार, 851217 .......................................... याचीगण

बनाम

भारत संघ
द्वारा महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर। ..........................................उत्तरदाता

उपस्थितिः
वादी के विद्वान अधिवक्ता–श्री एन के वर्मा– उपस्थित।
प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता–श्री अशोक कुमार वर्मा– उपस्थित।

**श्री रामबाबू शर्मा, माननीय सदस्य (न्यायिक) :**

1. याचीगण मंजय कुमार व अन्य ने यह याचिका रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा–16 के अन्तर्गत प्रशांत कुमार की रेल दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के परिणामस्वरूप उन पर अपनी आश्रितता के आधार पर भारत संघ (द्वारा महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर) के विरूद्ध क्षतिपूर्ति एवं उस पर ब्याज दिये जाने की याचना के साथ प्रस्तुत की है।

2. याचीगण के अभिकथन के अनुसार, मृतक प्रशांत कुमार दिनांक 23.03.2022 को वैध टिकट के साथ ट्रेन नं0 05250 डाउन बरौनी–कटिहार मेमू ट्रेन से बेगूसराय रेलवे स्टेशन से खगिड़िया जं0 जा रहा था। यात्रा के दौरान वह चलती ट्रेन से गिर गया। इस दुर्घटना में यात्रा टिकट कहीं खो गया।

3. उत्तरदाता की ओर से लिखित कथन प्रस्तुत करते हुए याचीगण के उपरोक्त अभिकथन से पूर्णतः इंकार किया गया और याचिका का इस आधार पर विरोध किया गया कि दावा आवेदन पोषणीय नहीं है और यह दावा खारिज करने योग्य है। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में मृतक के पास से कोई यात्रा टिकट या यात्रा प्राधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए मृतक किसी भी चलती सवारी रेलगाड़ी का सद्‌भावी यात्री नहीं था। मृतक का निवास स्थान घटना स्थल के आस–पास के क्षेत्र में संबंधित है। अतः हो सकता है कि रेलवे ट्रैक का उपयोग करने के दौरान घटना घटित हुई होगी। घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है। कथित घटना रेल अधिनियम की धारा–123 की उपधारा (ग) में परिभाषित अनपेक्षित घटना में वर्णित परिस्थितियों में घटित नहीं हुई है। अतः याचिका निरस्त किये जाने योग्य है।

4. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर इस याचिका के निर्णय के लिए निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गयेः

(1) क्या मृतक प्रश्नगत रेलगाड़ी का सद्भावी यात्री था?

(2) क्या मृतक की मृत्यु से सम्बन्धित घटना रेल अधिनियम, 1989 की धारा 123 (C) (2) सपठित धारा 124–ए के अन्तर्गत परिभाषित अनपेक्षित घटना की परिधि में आती है?

(3) मृतक के आश्रित कौन–कौन हैं?

(4) आश्रितगण किस उपशम को प्राप्त करने के अधिकारी है?

5. याचीगण द्वारा अपने अभिकथन के समर्थन में मंजय कुमार को ए.डब्ल्यू–01 तथा संजय यादव को ए.डब्ल्यू–02 के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

6. प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में याचीगण की ओर से स्टेशन मास्टर मेमो (प्रदर्श A/1), एफआईआर (प्रदर्श A/2), फाइनल रिपोर्ट (प्रदर्श A/3), आवेदन (प्रदर्श A/4), मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श A/5), शव चालान (प्रदर्श A/6), पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श A/7), आश्रित प्रमाण पत्र (प्रदर्श A/8) एवं आधार कार्ड (प्रदर्श A/9) की छायाप्रतियाँ प्रस्तुत की गयी।

7. उत्तरदाता की ओर से अपने अभिकथन के समर्थन में डीआरएम रिपोर्ट (सामूहिक रूप से प्रदर्श आर– R/1) प्रस्तुत किया गया है। विपक्षी रेलवे की ओर से मौखिक साक्ष्य में कोई साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया है।

8. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक अवलोकन किया गया।

## विनिश्चय

## वाद बिन्दु संख्या 01

9. विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या मृतक प्रश्नगत रेलगाड़ी का सद्‌भावी यात्री था?

10. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस की गयी कि प्रस्तुत मामले में मृतक प्रशांत कुमार दिनांक 23.03.2022 को वैध टिकट के साथ ट्रेन नं0 05250 डाउन बरौनी–कटिहार मेमू ट्रेन से बेगूसराय रेलवे स्टेशन से खगिड़िया जं0 जा रहा था। यात्रा के दौरान वह चलती ट्रेन से गिर गया। इस दुर्घटना में यात्रा टिकट कहीं खो गया।

11. उत्तरदाता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस की गयी कि प्रस्तुत मामले में यदि यात्रा के दौरान मृतक के पास यात्रा टिकट होता तो वह टिकट पुलिस द्वारा कम से कम मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट के समय मृतक के पास से बरामद किया जाता। चूंकि साक्षी मंजय कुमार (ए.डब्ल्यू.–01) मृतक का पिता एवं संजय यादव (ए.डब्ल्यू.–01) मृतक के भाई का ससुर है, अतः उसने टिकट से सम्बन्धित साक्ष्य को साबित करने के लिए मनगढ़न्त बयान दिया है, इसलिए इस साक्षी का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है।

12. रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 123 में कहा गया है:

**(C):(1)** यात्रियों को ले जाती हुई किसी रेलगाड़ी पर या उसके प्रतीक्षालय, अमानती सामान घर या आरक्षण अथवा टिकट घर या प्लेटफार्म या रेलवे स्टेशन के परिसर के भीतर किसी अन्य स्थल में की गयी कोई **"अनपेक्षित घटना"** (कष्टकारी घटना/Untoward incident) का तात्पर्य है–

(i) आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1987 की धारा–4(1) के अन्तर्गत कोई आतंकवादी कार्य करना, या

(ii) हिंसात्मक आक्रमण का प्रदर्शन या लूटपाट या डकैती करना, या

(iii) बलवा, गोली चलाकर मार देना या आगजनी की वारदात, अथवा

(2) यात्रियों को ले जाती हुई रेलगाड़ी से किसी यात्री का घटनास्वरूप गिर पड़ना।

13. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि धारा 2(29) रेल अधिनियम, 1989 में यात्री शब्द को परिभाषित किया गया है और धारा 124–ए में अनपेक्षित घटनाओं के मद्दे प्रतिकर के लिए प्रावधान किया गया है, जो निम्नवत् है:–

**धारा 2(29)**–"यात्री से किसी विधिमान्य पास या टिकट से यात्रा करनेवाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।"

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए "यात्री" के अन्तर्गत निम्नलिखित आते हैं, अर्थात्:–

(i) कर्तव्यारूढ़ रेल सेवक; और

(ii) ऐसा व्यक्ति जिसने यात्रियों को वहन करने वाली रेलगाड़ी द्वारा, किसी तारीख को, यात्रा करने के लिए कोई विधिमान्य टिकट या कोई विधिमान्य प्लेटफार्म टिकट क्रय किया है और वह व्यक्ति किसी अनपेक्षित घटना का शिकार हो जाता है।

अतः यह स्पष्ट है कि किसी घटना को अनपेक्षित घटना माने जाने के लिए यात्री के पास वैध टिकट होना आवश्यक है।

14. तथापि, रेल के सद्भावी यात्री के सम्बंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम रीना देवी, अपील संख्या 4945 ऑफ 2018 निर्णित दिनांक 09.05.2018 के पैरा–17.4 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है –

*"Mere presence of body on the railway premises will not be conclusive to held that injured or deceased was a bonafide passenger for which claim for compensation could be maintained. However, mere absence of ticket with such injured or deceased will not negative the claim that he was a bonafide passenger. Initial burden will be on the claimant which can be discharged by filing an*

*affidavit of the relevant facts and burden will be then shift on the Railways and the issue can be decided on the facts shown or the attending circumstances. This will have to be dealt with from case to case on the basis of facts found. The legal position in this regard will stand explained accordingly."*

15. पत्रावली पर उपलब्ध स्टेशन अधीक्षक, खगड़िया द्वारा दिनांक 23.03.2022, समय 7:30 बजे जारी मेमो (प्रदर्श ए–1) के अनुसार–

*"उमेशनगर स्टेशन मास्टर श्री पुरूषोत्तम कुमार जी के द्वारा सूचित कराया गया है कि एक व्यक्ति उम्र लगभग 25 वर्ष DN. Main Line KM 131/01-0 पर दोनों पटरियों के बीच में साहेबपुर कमाल इंड की तरफ मृतप्राय पड़ा हुआ है।"*

16. दिनांक 23.03.2022, समय 7:30 बजे ज़ारी मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श ए–5) के अनुसार–

*" किसी अज्ञात ट्रेन से गिरकर बुरी तरह से जख्मी होने तथा अत्यधिक रक्तस्राव होने से मृत्यु होना बताया गया है तथा ऐसा प्रतीत भी होता है। "*

मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में तथा स्टेशन मेमो पर जारी होने का समय 7:30 बजे ही लिखा है, जो संदेह उत्पन्न करता है। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में किसी भी रेलवे टिकट अथवा पास की बरामदगी का उल्लेख नहीं है। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में दर्शायी गयी राय पर पहुंचने का कोई आधार भी नहीं दर्शाया गया है।

17. पुलिस फाइनल रिपोर्ट (प्रदर्श ए–3) के अनुसार –

*" मृतक की मृत्यु ट्रेन दुर्घटना होने के कारण ब्रेन हेमरेज होने एवं सदमा से मृत्यु होना प्रतीत होता है। "*

इस रिपोर्ट में ट्रेन नं0 व टिकट खरीदकर मृतक को दिये जाने के संबंध में किसी साक्षी का कोई बयान भी अंकित नहीं है।

18. पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श ए–7) के अनुसार, मृत्यु का कारण Train accident causing brain haemorrhage and shock and death एवं मृत्यु का समय within 24 hrs दर्शाया गया है।

19. डीआरएम रिपोर्ट (प्रदर्श आर–1) के साथ संलग्न आरपीएफ जाँच के निष्कर्ष के अनुसार –

*उपरोक्त मामले की जांच के दौरान एकत्रित किये गए दस्तावेजी साक्ष्यों, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों, गवाहों एवं मृतक के परिजन के बयान में यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मृतक प्रशांत कुमार की मृत्यु किस ट्रेन से चपेट में आने/गिरने के कारण हुई है। जीआरपी द्वारा समर्पित अंतिम प्रतिवेदन में* ***मृतक प्रशांत कुमार की मृत्यु किसी अज्ञात ट्रेन से गिरकर बुरी तरह से जख्मी होने तथा अत्यधिक रक्त स्राव होने से मृत्यु होना बताया गया है लेकिन मृतक के ट्रेन से वैध रूप से यात्रा करने बाबत कोई जिक्र नहीं किया गया है। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में भी मृतक के पास से कोई भी रेलवे यात्रा टिकट नहीं पाया गया है।*** *साथ ही मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट के गवाह एवं सम्पूर्ण जाँच में कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से मृतक प्रशांत कुमार को किसी चलती ट्रेन से गिरते हुए नहीं देखा है और न ही मृतक के किसी ट्रेन में सफर करने का कोई वैध प्रमाण पत्र ही प्राप्त हो सका है।*

20. मंजय कुमार (ए. डब्ल्यू.–1) ने अपने शपथपत्र के पैरा 5 एवं 6 में कथन किया है कि–

*5. यह कि मृतक दिनांक 23.03.2022 को अपने घर वापस आने के लिए संजय यादव के साथ बेगुसराय रेलवे स्टेशन आए।* ***संजय यादव ने मृतक के लिए बेगुसराय रेलवे स्टेशन से खगड़िया जं० तक का द्वितीय श्रेणी का साधारण ट्रेन टिकट खरीदकर मृतक को दे दिया।***

*6. यह कि मृतक गाड़ी संख्या 05250 डा० बरौनी कटिहार मेमो ट्रेन पर बेगुसराय रेलवे स्टेशन पर सवार हुए एवं सदभावी यात्री के रूप में यात्रा करने लगे। उक्त ट्रेन में अत्याधिक भीड़-भाड़ थी।* ***ट्रेन में चढ़ने के पश्चात***

मुझे कॉल करके यह बताया कि टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ गए हैं। ट्रेन में भीड़ है। उक्त ट्रेन जब किमी० 131/02-131/04 उमेश नगर रेलवे स्टेशन के नजदीक पहुँची तब यात्रियों के भीड़-भाड़ के धक्के एवं उक्त ट्रेन के जरकीन के कारण मृतक चलती ट्रेन से गिर गए एवं घटना स्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गयी।

21. याची मंजय कुमार ने (ए. डब्ल्यू.–1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि–

- मृतक मेरा बेटा था।
- घटना के समय बेटा का उम्र 24 वर्ष था।
- बेटा बेगुसराय से खगड़िया जा रहा था।
- शपथ पत्र में दिया गया बयान मैं अपने स्तर से लिखाया हूं।
- **मैं अपने बेटा को टिकट कटाते, गाड़ी पर चढ़ते या गाड़ी से गिरते हुए नहीं देखा था।**
- घटना 23.03.2022 की है।
- घटना **बेगुसराय मेमो पैसेंजर** से घटी थी।
- **बेटा घर से एक रोज पहले घर से निकला था**, वह मेरे समधी के यहां गया था।
- मुझे ग्रामीणों द्वारा घटित घटना के बारे में सूचना मिला, करीब 10 बजे दिन में।
- सूचना मिलने के बाद मैं घटनास्थल पर नहीं गया था।
- घटनास्थल का नाम उमेश नगर है।
- मेरे घर से उमेश नगर स्टेशन की दूरी करीब 4 कि. मी. है।
- **मैं किसी चक्षमदीद गवाह का नाम नहीं बता सकता हूं जिसने घटना घटित होते हुए देखा हो।**
- मेरे पास मोबाइल है जिसका न. 8825171071 है।
- पुलिस घर पर आये थे पुलिस मुझसे पूछताछ किये थे।
- **सुजीत कुमार मेरे सगे भाई हैं, विजेन्द्र कुमार यादव मेरे चचेरे भाई हैं।**
- **मेरे रिश्तेदार ने कहे थे कि चार बजे के आसपास ट्रेन का टिकट कटाकर गाड़ी में चढ़ा दिये हैं।**
- **यह मुझे जानकारी नहीं है कि मृतक के पास से टिकट बरामद हुआ था कि नहीं।**

- *मेरे घर के नजदीकी रेलवे स्टेशन साहपुर कमाल है।*
- *प्रस्तुत दावा के अलावा मुआवजा के वास्ते किसी अन्य न्यायालय में मुकदमा नहीं किया हूं।*
- *यह कहना गलत है कि मेरे पुत्र की मृत्यु ट्रेन से गिरकर न हुआ हो, यह कहना गलत है कि मेरे पुत्र की मृत्यु रेलवे लाईन पार करने के दौरान हुआ हो ।*

22. संजय यादव (ए. डब्ल्यू.–2) ने अपने शपथपत्र के पैरा 2 एवं 3 में कथन किया है कि–

*2. यह कि मृतक प्रशांत कुमार अगले दिन दिनांक 23.03.2022 को अपने घर वापस जाने के लिए मेरे साथ बेगुसराय रेलवे स्टेशन पर आए।*

*3. यह कि मैंने बेगुसराय रेलवे स्टेशन से खगड़िया जं० तक का द्वितीय श्रेणी का साधारण ट्रेन टिकट दिनांक 23.03.2022 का खरीद कर मृतक को दे दिया एवं अपने घर वापस आ गया।*

23. याची संजय यादव (ए. डब्ल्यू –2) ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि–

*मृतक प्रशांत कुमार मेरे दामाद के छोटा भाई थे। मृतक दिनांक 22.03.2022 को मेरे घर आये थे इसका कोई प्रमाण मैं नहीं दे सकता। आर पी एफ के जांच अधिकारी ने घटना के संबंध में मुझसे कोई पूछताछ नहीं किये न ही कोई बयान लिये थे।* ***मेरे घर से दिनांक 23.03.2022 को भोर में 3 बजे बेगुसराय रेलवे स्टेशन के लिए निकले थे, मैं भी उनके साथ गया था।*** *हमलोग करीब साढ़े तीन बजे भोर में ही रेलवे स्टेशन पहुंच गये।* ***मैंने मृतक को टिकट कटाकर दे दिया था, उसके बाद मैं अपने घर के लिए निकल गया। मैंने मृतक को 10 रुपये का टिकट कटाकर दिया था, टिकट कितने बजे कटाये थे सही समय याद नहीं है। टिकट कुट की नहीं थी कागज वाला था।*** *टिकट एक नं. काउंटर से कटाया था। वहां पर सिर्फ दो ही टिकट काउंटर है।* ***मृतक पैसेंजर ट्रेन पर चढ़े थे,*** *परन्तु गाड़ी नं. और गाड़ी का नाम पता नहीं है। हमलोगों के रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के करीब 10-15 मिनट के बाद गाड़ी प्लेटफार्म नं. 1 पर आयी थी।* ***गाड़ी लगभग 4 बजे सुबह खुली थी।*** *टिकट कटाने का कोई प्रमाण मेरे पास नहीं है। टिकट बेगुसराय से खगड़िया तक का था।* ***टिकट कटाने की बात मैं अपने घर वालों को दिया था।*** *घटना की जानकारी मुझे समधी*

*साहब के द्वारा मिली थी घटना की जानकारी होने के बाद* [illegible] *घटनास्थल की दूरी कितनी है यह मुझे जानकारी नहीं है। यह कहना गलत है कि मृतक के परिवारवालों को मुआवजा मिल जाये इसलिए मैं झूठी गवाही दे रहा हूं। यह कहना गलत है कि मृतक की मृत्यु रेलवे लाइन पार करने के दौरान हुआ हो।*

**कोर्ट प्रश्न–**

*मैं सुजीत कुमार को नहीं जानता हूं। मृतक प्रशांत कुमार का एक ही चाचा है फिर कहा उनको चार चाचा है परन्तु मुझे किसी से व्यक्तिगत रूप से जान पहचान नहीं है। हमें यह जानकारी थी कि करीब 4 बजे भोर में एक पैसेंजर ट्रेन बेगुसराय स्टेशन से खगडिया के लिए जाती है यही विचार रखकर हम रात्री के करीब 3 बजे अपने घर से स्टेशन चले आये थे।*

24. सुजीत कुमार ने दिनांक 23.03.2022 को रेल थानाध्यक्ष, खगड़िया को दिये आवेदन (प्रदर्श–4) में कहा है कि–

> *"...............मेरा भतीजा प्रशांत कुमार ........... घर से कुछ काम से निकला था, गाँव वालों के द्वारा आज दिनांक 23.03.2022 को सूचना मिली कि आपका भतीजा प्रशांत कुमार किसी अज्ञात ट्रेन से गिरकर जख्मी होने से मृत्यु हो गया। सूचना पर हमलोग परिजन के साथ उमेश नगर स्टेशन के पास पहुंचे तो शव को देखकर अपना भतीजा प्रशांत कुमार, पिता– श्री मंजय कुमार के रूप में पहचान किया। मेरे भतीजा की मृत्यु किसी अज्ञात ट्रेन से गिरकर बुरी तरह जख्मी होने से हुई है। इस मृत्यु के संबंध में मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। "*

25. याचिका में अथवा आवेदन में मृतक के पिता मंजय कुमार को मृतक द्वारा टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ने के बाद फोन किये जाने का कथन अंकित नहीं है। अतः साक्षी ए.डब्ल्यू. –01 का कथन स्वीकारयोग्य एवं विश्वसनीय नहीं है।

26. इसी प्रकार याचीगण न टिकट खरीदे जाने के प्रत्यक्षदर्शी गवाह संजय यादव (ए. डब्ल्यू–2) का उल्लेख न तो अपने मूल आवेदन में कहीं किया है और न ही सुजीत कुमार द्वारा रेल थानाध्यक्ष को दिये आवेदन में इस तथ्य का उल्लेख है, अचानक संजय यादव (ए. डब्ल्यू–2) को साक्ष्य में न्यायाधिकरण के समक्ष पेश कर दिया गया। इस प्रकार संजय यादव (ए. डब्ल्यू–2) की टिकट के संबंध में दी गई साक्ष्य बिना प्लीडिंग के दिये जाने के कारण विश्वसनीय एवं स्वीकारयोग्य नहीं है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि–

*" No evidence can be led on a plea not raised in the pleadings and no amount of evidence can cure defect in the pleadings. No amount of evidence or arguments can be looked into or considered in absence of pleadings and issues."*

1. *Ravinder Singh Vs Janmeja Singh, (2000) 8 SCC 191*
2. *Union of India Vs R. Bhushal, (2006) 6 SCC 360*

27. अतः यह जिम्मेदारी याचीगण की है कि वे प्रथमतः अपने दावे को सिद्ध करें और इसके लिए वे शपथपत्र के साथ संगत साक्ष्य प्रस्तुत करें। इस प्रकार याचीगण ने मृतक के सदभावी यात्री होने के संबंध में सबूत के भार को प्रथमदृष्टतया डिस्चार्ज नहीं किया है। अतः याचीगण प्रथमतः यह सिद्ध करने में असफल रहे कि मृतक घटना के समय वैध यात्री था। अतः मृतक का एक वैध रेलयात्री होना सिद्ध नहीं होता है।।

28. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की तर्कों को वाद बिंदु संख्या 01 पर सुने जाने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों तथा विधिक सिद्धांतों का सम्यक अनुशीलन एवं परिशीलन करने के उपरान्त, यह तथ्य साबित नहीं होता है कि मृतक प्रशांत कुमार ट्रेन का सद्भावी यात्री था। अतः उक्त वाद बिन्दु तदनुसार नकारात्मक रुप से याचीगण के विरुद्ध विनिश्चित किया जाता है।

## वाद बिन्दु संख्या 02, 03 व 04

29. वाद बिंदु संख्या 01 की विवेचना के प्रकाश मे वाद बिन्दु संख्या 02, 03 व 04 पर विचार करने की कोई आवश्यकता नही रह जाती है। तद्नुसार याचीगण की याचिका खारिज किये जाने योग्य है।

## आदेश

30. याची मंजय कुमार की याचिका खारिज की जाती है। मामले की तथ्य परिस्थितियों में उभय पक्षकार अपना अपना वाद–व्यय वहन करेंगे।

31. निर्णय की प्रति दोनों पक्षकारों को बिना किसी मूल्य के उपलब्ध करायी जाय और याचिनी को निर्णय की प्रति उसके निवास स्थान पर स्पीड पोस्ट से भेजी जाय। तत्पश्चात समस्त औपचारिकता पूरी होने के पश्चात फाइल को दाखिल दफ्तर किया जाय।

(शिव कुमार प्रसाद)
सदस्य (तकनीकी)
दिनांक 07.07.2025

(राम बाबू शर्मा)
सदस्य (न्यायिक)
दिनांक 07.07.2025

निर्णय आज दिनांक 07.07.2025 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया।

(शिव कुमार प्रसाद)
सदस्य (तकनीकी)
दिनांक 07.07.2025

(राम बाबू शर्मा)
सदस्य (न्यायिक)
दिनांक 07.07.2025